

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/(निर्यात/मार्केटिंग-18)/१०५
प्रति

भोपाल, दिनांक 3/3/2022

1. संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय - कृषि उपज मंडी समितियों के अनुज्ञसिधारी व्यापारियों को प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में ।

प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने विषयक शासन स्तर पर हुई समीक्षा में संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है तथा कतिपय व्यापारी निर्यात योग्य उत्पाद सीमावर्ती राज्यों के निर्यातको को सप्लाई कर रहे हैं किन्तु, उन्हें निर्यात प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी तथा प्रशिक्षण के अभाव में एवं निर्यात हेतु चिन्हित संस्थाओं यथा DGFT & APEDA आदि में पंजीयन न होने के कारण, उनके माध्यम से प्रदाय की जाने वाली उपज का निर्यात प्रदेश की निर्यात सूची में प्रदर्शित नहीं हो पाता है और उन व्यापारियों को निर्यात सम्बंधित पूर्ण लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है । उक्त स्थिति में प्रदेश के निर्यात एवं निर्यातको को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में कृषि उपज एवं उत्पादों में संव्यवहार करने वाले मंडी समिति के अनुज्ञसिधारी व्यापारियों को प्रोत्साहित कर उन्हें निर्यातक की श्रेणी में सम्मिलित कराया जाना है । इस अनुक्रम में आपसे निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है -


1. शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु DGFT से IE code & APEDA से RCMC पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है इसके लिए नवीन प्रक्रिया की जानकारी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त DGFT की वेबसाइट <https://www.dgft.gov.in> एवं APEDA की वेबसाइट <https://apeda.gov.in> का उपयोग कर अन्य जानकारी एवं सहायता सुगमता से प्राप्त की जा सकती है ।

अतः उक्त सम्बन्ध में मंडी समिति स्तर से व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं को जानकारी प्रदाय करते हुए अधिकाधिक व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं को DGFT & APEDA में पंजीकृत कराया जावे । आंचलिक अधिकारी संभाग की मंडीवार समीक्षा कर पंजीयन हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे ।



2. आंचलिक कार्यालय एवं मंडी स्तर पर एक-एक कर्मचारी, जो कंप्यूटर का जानकार हो, को "निर्यात सहयोगी" के रूप में नामित करते हुए उसका नाम एवं मोबाइल नंबर क्रमशः संभाग एवं मंडी में व्यापारियों की सहायतार्थ प्रदर्शित किया जावे। उक्त कर्मचारी कार्यालयीन समय पर व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं को DGFT & APEDA में पंजीयन करने में सहयोग प्रदान करेगा।
3. APEDA का रीजनल ऑफिस मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में स्थापित है, यहाँ से निर्यात उन्मुखी जानकारी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। उक्त जानकारी का प्रचार- प्रसार किया जावे।
4. एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा चयनित उत्पादों की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करायी जावे तथा चयनित उत्पाद कृषि उपज/उत्पाद की श्रेणी का होने पर व्यापारियों एवं जिला प्रशासन के मध्य जिला मुख्यालय की मंडी के सचिव द्वारा समन्वय किया जावे, जिससे आपके सम्भाग अंतर्गत जिलों के उत्पादों को वृहद् पहचान स्थापित होकर निर्यात प्रोत्साहित किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का आंचलिक संयुक्त/उप संचालक द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने पर्यवेक्षण में क्रियान्वयन कराया जाकर प्रथम पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में एवं तदोपरांत मासिक प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई-मेल:- admpsambmarket@gmail.com पर हार्ड कॉपी एवं एक्सेल शीट में (मंगल फॉण्ट में) तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार प्रपत्र।


(विकास कौरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन
बोर्ड भोपाल

प्रपत्र 1

प्रारंभिक प्रतिवेदन एवं नवीन पंजीयन सम्बन्धी जानकारी सम्प्रेषण

क्र	संभाग	जिला	मंडी	एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत चयनित उत्पाद	फर्म का नाम	ई- अनुज्ञा मंडी अकाउंट नंबर	DGFT द्वारा जारी IE Code	APEDA द्वारा जारी RCMC No.

टीप- वर्तमान में पंजीकृत निर्यातको की जानकारी प्रथम पालन प्रतिवेदन में प्रेषित की जावे | साथ ही नवीन पंजीयन होने पर व्यापारी के पंजीयन संबंधी जानकारी मासिक प्रपत्र के साथ प्रेषित करने हेतु उपयोग किया जावे

प्रपत्र 2

मासिक समीक्षा हेतु जानकारी सम्प्रेषण

क्र	संभाग	जिला	मंडी	कुल अनुज्ञासिधारी व्यापारी	DGFT से IE Code प्राप्तकर्ता व्यापारी संख्या			APEDA से RCMC No. प्राप्तकर्ता व्यापारी संख्या		
					विगत माह तक	वर्तमान माह में	योग	विगत माह तक	वर्तमान माह में	योग

टीप- मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी संख्यात्मक जानकारी प्रेषित करने हेतु उपयोग किया जावे